IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मध्य प्रदेश में आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का आधार□लघुवनोपज□

(तेंदूपत्ता उत्पादन के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. तबस्सुम पटेल
शासकीय विक्रम महाविद्यालय,खाचरोद (म.प्र.)
दत्तपाल सिह भंवर
शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय,श्योपुर(म.प्र.)

सारांश

मध्यप्रदेश में जनजातीय आदिवासियों की बड़ी जनसंख्या निवास करती है, कुल जनसँख्या में 1,53,16,784 लोग जनजातीय परिवारों से आते है| इनके जीविकोपार्जन, रोजगार एवं आय का प्रमुख साधन कृषि, मजदूरी एवं लघुवनोपज है| आज भी जनजातीय परिवार अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों पर निर्भर है, यहाँ पर व्यावसायिक महत्त्व के विभिन्न प्रकार के लघुवनोपज उपलब्ध है| मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तेंदूपत्ता (डायोस्पाइरोस मेलोनोक्सिलॉन की पत्तियां) उत्पादक राज्य है। मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 25 लाख मानक बोरी है, जो देश के कुल तेंदूपत्ता उत्पादन का लगभग 25% है। प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का आधार लघुवनोपज में तेंदूपत्ता उत्पादन का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है|

मुख्य शब्दावली :- तेंदुपत्ता, जनजातीय परिवार, मध्यप्रदेश वनोपज,

प्रस्तावना

"लघु वनोपज" शब्द में बड़ी मात्रा में और विभिन्न प्रकार के खाद्य, औद्योगिक और वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं जिनके विविध उपयोग हैं, जंगलों में और आसपास रहने वाली आबादी की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मौर्य शासन के पहले के समय में भी औषधीय जड़ी-बूटियों, जहरीले

सांपों और कीड़े, बांस, बेंत और रेशेदार पौधों के संग्रह जैसे छोटे वन उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए एक कुपाध्यक्ष (वन उत्पादों का एक अधीक्षक) नियुक्त किया गया था।

वन उत्पादों का 'प्रमुख' और 'लघु' में वर्गीकरण उनके मौद्रिक मूल्यों पर आधारित है। आमतौर पर वनों का प्रबंधन लकड़ी और ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार उन्हें प्रमुख उत्पाद कहा जाता है। राजस्व की दृष्टि से भी लघु वनोपज का मूल्य बहुत अधिक नहीं है। हालांकि आज स्थिति काफी अलग है। हमारे दैनिक जीवन में वन उत्पादों का महत्वपूर्ण योगदान है। सभी औषधीय नुस्खों में आधे से ज्यादा की उत्पत्ति जंगलों में होने वाली वनस्पतियों से हुई है। इनमें से कई उत्पादों से आदिवासी और ग्रामीण आबादी का जीवन घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उनकी बुनियादी जरूरतें और आजीविका के लिये धनोपार्जन इन वस्तुओं के संग्रह और प्रसंस्करण से होती है।

रोजगार सृजन के रूप में, और महत्वपूर्ण उद्योगों में आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में लघु वनोपज विशेषत: वंचित रूप में रहने वाले सबसे गरीब परिवारों (विशेष रूप से महिलाओं) के लिए महत्वपूर्ण है। लघु वनोपज अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। गैर-आदिवासी परिवारों की तुलना में, आदिवासी परिवार लघु वनोपज अर्थव्यवस्था पर अधिक निर्भर करते हैं। लघु वनोपज अर्थव्यवस्था समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए अति महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में लघु वनोपज की अपार संपदा है। लघु वनोपजों के उत्पाद कई लाभ देते हैं, जैसे कि -

1. राज्य सरकार को राजस्व के रूप में,
2. ग्रामीण, विशेषकर आदिवासी आबादी को जीवन निर्वाह के रूप में,
3. लघु वनोपज में बांस, तिलहन, फल, छाल, पत्ते, औषधीय पौधे, पशु उत्पाद आदि शामिल हैं। राज्य में लघु वन उत्पादों पर अधिक बल तब दिया गया था, जब लघु वन उत्पादों के महत्व को वन राजस्व के स्रोत के रूप में और साथ ही विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावना के सृजन के रूप में महसूस किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, कुछ लघु वनोपजों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हालाँकि, इनमें से अधिकांश उत्पाद असंगठित क्षेत्र में बने रहे। इसके अलावा, अधिकांश गैर-काष्ठ वन उत्पादों के संबंध में मात्रात्मक मूल्यांकन आज तक उपलब्ध नहीं है। स्थानीय आबादी द्वारा खपत की गई मात्राओं और बाजारों में बेची गई मात्राओं के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन लघु वनोपजों के वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रयास कई कारणों से बाधित हुए हैं, जिनमें प्रमुख कारण वनों की कटाई और गिरावट के कारण वनों पर जैविक दबाव का बढ़ना है। कुछ वन उत्पादों को उनकी राजस्व अर्जन क्षमता और ग्रामीण आबादी के लिए उपयोगिता के मामले में शायद ही मामूली कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, बांस जो गरीबों के साथ-साथ उद्योगपतियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, काफी रोजगार पैदा करता है। लघु वनोपज के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है, कि इसमे उत्पादन क्षमता, आय और रोजगार सृजन पर आधारित समंकों की कमी है। इसलिए विभिन्न महत्वपूर्ण लघु वनोपजों पर शोध आवश्यक है। विभिन्न जैविक कारकों के कारण कई महत्वपूर्ण लघु वनोपज दुर्लभ होते जा रहे हैं। पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए वनों और अन्य भूमि से इन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है।

भारत में अधिकांश बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण बेरोजगारी की दो विशेषताएं हैं, मौसमी और बारहमासी। कृषि जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय है, स्वभाव से मौसमी व्यवसाय है। कुछ अनुमान बताते हैं, कि साल में कम से कम पांच से सात महीने कृषि में लगी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेकार है। यह मौसमी बेरोजगारी है। ग्रामीण बेरोजगारी का दूसरा पहलू बारहमासी अल्प-रोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। पिछले कुछ वर्षों में खेती के क्षेत्र में समान वृद्धि के बिना कृषि में लगी कामकाजी आबादी में तेज वृद्धि हुई है। इससे अधिशेष आबादी कृषि में लगी हुई है। दूसरे शब्दों में, अधिशेष श्रम की सीमांत उत्पादकता बहुत कम हो सकती है। यह पाया गया है कि लघु वनोपज के संग्रहण से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजित होता है, यह ग्रामीण रोजगार सृजन में वानिकी के मजबूत पिछड़े जुड़ाव को दर्शाता है। तथापि, सभी लघु वनोपजों के संग्रहण से सृजित संभावित रोजगार के अनुमानों का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट है, कि लघु वनोपज के संग्रह में लगी अधिकांश ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से आदिवासी हैं। लघु वनोपज से रोजगार ज्यादातर गैर-कृषि मौसम के दौरान तब उत्पन्न होता है जब बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्याएँ तीव्र होती हैं।

वनक्षेत्रों एवं वनोपज में अनुसंधान की आवश्यकता

तेजी से बढ़ती आबादी और उद्योग की बढ़ती मांगों के साथ, कई लघु वनोपज कम हो रहे हैं। बांस वाणिज्यिक और ग्रामीण घरेलू जरूरतों के लिए कई महत्व रखता है। यह महत्वपूर्ण प्रजाति धीरे-धीरे जंगलों से लुप्त होती जा रही है। इसके प्रसार और विकास के लिए अनुसंधान प्रयासों की आवश्यकता है। इनमें रोपण तकनीकों का मानकीकरण, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, प्रकंद/वनस्पति प्रसार, मिट्टी की कार्यप्रणाली और सिंचाई की आवश्यकताएं, आदि शामिल हैं। तेंदू पत्ता का व्यावसायिक महत्व है। राज्य की जनजातीय अर्थव्यवस्था में इसकी बहुत प्रासंगिकता है क्योंकि यह मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार पैदा करता है। प्राकृतिक वनों, कृषि योग्य बंजर भूमि, गाँव की आम सड़क के किनारे आदि में प्राकृतिक रूप से उगने वाली तेंदू पत्ता की झाड़ियाँ बीड़ी बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पत्ते प्रदान करती हैं। इसके विपरीत, ऊंचे पेड़ों से प्राप्त पत्तियाँ बहुत मोटी और सख्त होती हैं और बीड़ी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। अनुसंधान के अभाव में, तेंदूपत्ता पेड़ों से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले पत्ते प्राप्त करने के लिए पत्ते उपयोग योग्य है या नहीं, इसके बावजूद अधिक या अधिक पत्ते एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वनस्पति तेल की कमी के कारण हाल के वर्षों में वृक्ष आधारित लघु तिलहन का महत्व बढ़ गया है। कुछ वृक्ष आधारित तिलहनों ने अपने तेल और मक्खन के लिए बाजार स्थापित कर लिया है, लेकिन कुछ को अभी तक उनकी संरचना, संग्रह आदि में विभिन्न बाधाओं के कारण व्यावसायिक महत्व हासिल करने की आवश्यकता है। कुछ वृक्ष प्रजातियां जिनका व्यावसायिक रूप से दोहन किया जाता है, वे हैं नीम, महुआ, कुसुम, करंज आदि। लगभग सभी तिलहनों में वास्तविक और संभावित उत्पादन की जानकारी का अभाव है।

महुआ, आदिवासी आबादी और उद्योग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पेड़ है। बीज एकत्र करने का मौसम छोटा होता है और संगठित कटाई के अभाव में मानसून के दौरान फसल का काफी हिस्सा नष्ट हो

जाता है। अवलोकनों से पता चलता है कि महुआ जंगलों से तेजी से घट रहा है। इस वृक्ष प्रजाति को वृक्ष सुधार कार्यक्रम के माध्यम से प्रचारित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। नीम, करंज, कुसुम और अन्य छोटे तिलहनों को भी उत्पादन क्षमता और तेल सामग्री पर शोध की आवश्यकता होती है।

वनों में औषधीय पौधे एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं। औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए बाजार संरचना, मूल्य स्तरों में भिन्नता, विपणन मार्जिन और विपणन के लिए विभिन्न चैनलों का अध्ययन करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। जंगलों में कई खाद्य उत्पाद पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार के वनों और विविध वन उत्पादों से समृद्ध है।

मध्यप्रदेश का कुल वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72% है तथा भारत के वन क्षेत्र का 12.4% है राज्य के वन यंहा की अर्थवयवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते है| आदिवासी लोगो की अर्थवयवस्था का महत्वपूर्ण स्त्रोत लघु वनोपज है, जिसे सामान्यतः लघु वनोत्पाद भी कहा जाता है| लघु वनोपज के अंतर्गत बांस, आंवला शहद, तेंदुपत्ता, जंगली फल, गोंद, महुआ, चारा, लाख, आदि शामिल है| ये लघु वनोपज जंगल या जंगल के नजदीक रहने वाले लोगो को जीविका और नकद आय दोनों उपलब्ध कराते है|

वन अधिकार अधिनियम, 2011 पर राष्ट्रीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार , वनवासियों के लिए लघु वनोपज का आर्थिक और सामाजिक महत्व है क्योंकि लगभग 100 मिलियन लोग अपनी आजीविका का स्त्रोत लघु वनोपज के संग्रह और विपणन से प्राप्त करते है| जनजातीय लोग अपनी आय का 20-40% लघु वनोपज से प्राप्त करते है| प्रदेश में 60 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों और 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से संग्रहित किया जाता है| तेंदूपत्ते तोड़ने का कार्य घर के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है फलतः परिवार को अच्छी आमदनी हो जाती है वर्तमान में प्रदेश में 45 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक है इनमें से 50 फीसदी से ज्यादा 23 लाख संग्राहक जनजाति वर्ग के है इसी तरह 40 फीसदी महिला संग्राहक भी है |

<u>अध्यन के उद्देश्य</u> :-

प्रस्तुत अध्ययन में मध्यप्रदेश में आदिवासियों के आर्थिक विकास में लघुवनोपज तेंदुपत्ता उत्पादन के योगदान से सम्बंधित विभिन्न तथ्यों पर प्रकाश डालेगा | वस्तुतः किसी भी शोधपरक अध्ययन के लिए आवश्यक होता है जिसके कारण अनुसन्धान को दिशा मिलती है| उद्देश्यों के पूर्वनिर्धारण के बिना अध्ययन वैज्ञानिक नही होता, अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन में निश्चित किये गये उद्देश्य इस प्रकार है –

1) अध्ययन क्षेत्र के लघुवनोपज को जानना विशेषकर तेंदुपत्ता उत्पादन पद्दति को समझना|
2) बाजार एवं उसके स्वरुप को समझना|
3) तेंदुपत्ता उत्पादन से सम्बंधित आदिवासी जनजातियो की स्थिति
4) लघु वनोपज के विपणन सुधार हेतु समाधान व् सुझाव ज्ञात करना |

शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितियक समंको का उचित प्रविधि के द्वारा संकलन किया गया है |

➢ **द्वितीयक समंक :-**

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु द्वितीयक समंको का भी संकलन किया गया है | द्वितीयक समंको के संकलन के लिए प्रकाशित व् अप्रकाशित प्रलेखो का प्रयोग किया गया है साथ ही प्रकाशित आंकड़े तथा विभिन्न प्रकार की साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक पत्र-पत्रिकाएं, शोध पत्र, संगोष्ठी से अध्ययन हेतु उपयोगी समंको को संकलित किया गया है| अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत शोध प्रबंध का भी अध्ययन किया गया है, तथा आवश्यक समंको को संकलित किया गया है|

तेंदूपत्ता उत्पादन का परिचय :-

मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तेंदूपत्ता (डायोस्पाइरोस मेलोनोक्सिलॉन की पत्तियां) उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में तेंदूपत्ता का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 25 लाख मानक बोरी है, जो देश के कुल तेंदूपत्ता उत्पादन का लगभग 25% है। मध्य प्रदेश में तेंदु के पत्तों के एक मानक बैग का मतलब 50 पत्तों के 1000 बंडल हैं।

पत्तियां तेंदु के पेड़ (डायोस्पायरोस मेलानॉक्सिलोन रॉक्सब ।) से प्राप्त की जाती हैं, जो परिवार एबेनेसी से संबंधित है , जो भारतीय उप-महाद्वीप के लिए **स्थानिक है।** ट्रूप के अनुसार (1921)Diospyros melanoxylon (डी. टोमेंटोसा और डी. टुप्रू सहित) पूरे भारत में शुष्क पर्णपाती जंगलों के सबसे विशिष्ट पेड़ों में से एक है, जो पूरे भारतीय प्रायद्वीप को कवर करता है, वितरण का क्षेत्र भारतीय मैदान सहित उप-हिमालयी इलाकों में नेपाल तक फैला हुआ है। गंगा का मैदान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मालाबार तक पश्चिमी तट और कोरोमंडल तक पूर्वी तट। यह पौधा दक्षिण में नीलगिरी और सेरावाली पहाड़ियों पर भी पाया जाता है।इसे आसानी से इसे रोल किया जा सकता है और इसकी व्यापक उपलब्धता के कारण पत्ती को सबसे उपयुक्त आवरण माना जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, शोरिया रोबस्टा आदि जैसे कई अन्य पौधों की पत्तियां भी देश के विभिन्न हिस्सों में बीड़ी रैपर के रूप में उपयोग की जाती हैं, लेकिन डायोस्पाइरोस के पत्तों की बनावट, स्वाद और काम करने की क्षमता अतुलनीय है। Diospyros melanoxylon का व्यापक पैमाने पर उपयोगबीड़ी उद्योग में पत्तियां मुख्य रूप से उनके विशाल उत्पादन, अनुकूल स्वाद, लचीलेपन, क्षय के प्रतिरोध और आग को बनाए रखने की क्षमता पर आधारित होती हैं। बीड़ी बनाने के लिए जिन व्यापक रूपात्मक लक्षणों पर पत्तियों का चयन किया जाता है और उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, वे हैं आकार, पत्तियों की मोटाई, बनावट, मध्य शिरा और पार्श्व शिराओं की सापेक्ष मोटाई।

तेंदुपत्ता के उपयोग :-

बीड़ी रोल करना प्राथमिक कार्य है जो बहुत ही सरल है और इसे किसी भी स्थान पर कभी भी किया जा सकता है। यह सहायक व्यवसाय का एक स्रोत है और लाखों गरीब ग्रामीण लोक बीड़ी उद्योग के लिए पूरक आय बीड़ी के पत्तों के संग्रह के लिए ऑफ सीजन के दौरान ग्रामीण आबादी को रोजगार प्रदान करता है। जाहिर है, ग्रामीण कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में बीड़ी उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

तेंदूपत्ता के संग्रहण और प्रसंस्करण:-

तेंदूपत्ता के संग्रहण और प्रसंस्करण की प्रक्रिया को लगभग मानकीकृत कर दिया गया है और लगभग हर जगह एक ही प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तेंदू के पौधों को फरवरी और मार्च के महीनों में काट दिया जाता है और परिपक्व पत्तियों को लगभग 45 दिनों के बाद एकत्र किया जाता है। पत्तियों को 50 से 100 पत्तों के बंडलों में एकत्र किया जाता है, जिन्हें लगभग एक सप्ताह तक धूप में सुखाया जाता है। सूखे पत्तों को नरम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है और फिर जूट की थैलियों में कसकर भर दिया जाता है और 2 दिनों के लिए सीधे धूप में रखा जाता है। इस प्रकार पैक किए गए और ठीक किए गए बैगों को बीड़ी निर्माण में उनके उपयोग तक संग्रहीत किया जा सकता है। तोड़ते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, तेंदूपत्ता का उपचार और भंडारण यह एक संवेदनशील उत्पाद है और इनमें से किसी भी प्रक्रिया के दौरान थोड़ी सी भी गलती या निरीक्षण से उनकी गुणवत्ता बिगड़ जाती है और वे बीड़ी बनाने के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा नियमन :-

राज्य सरकार ने 1964 में एक अधिनियम बनाया और तेंदूपत्ता के व्यापार को अपने हाथ में ले लिया। वनवासियों को तेंदूपत्ता संग्रहण एवं व्यापार में अधिक लाभ देने के लिए 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया गया। 1988 में राज्य सरकार ने सहकारी समितियों को शामिल करने का निर्णय लिया। तेंदूपत्ता के व्यापार में सक्रिय समितियां। इसके लिए त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा तैयार किया गया था। एमपी स्टेट लघु वनोपज संघ को इस संरचना के शीर्ष स्तर पर रखा गया था। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का गठन किया गया। माध्यमिक स्तर पर जिला वनोपज सहकारी संघों का गठन किया गया।

तेंदूपत्ता एकत्र करने का कार्य तेंदूपत्ता तोड़ने वालों की प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। राज्य में 15,000 से अधिक संग्रह केंद्र हैं। संग्रह कार्य मौसमी है। यह लगभग 6 सप्ताह तक रहता है। जिलों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर, मौसम अप्रैल के मध्य से मई के दूसरे सप्ताह तक किसी भी समय शुरू हो सकता है। मानसून की शुरुआत से दस से पंद्रह दिन पहले संग्रह बंद हो जाता है, ताकि पत्तियों को ठीक किया जा सके, बैग में रखा जा सके और सुरक्षित रूप से गोदामों में पहुँचाया जा सके।

मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता व्यवसाय की स्थिति :-

साल	संग्रहण दर प्रति एसबी	संग्रह मजदूरी	मात्रा संग्रहित	मात्रा का निपटारा किया गया	विक्रय कीमत	व्यय	शुद्ध प्राप्ति
2011	650	110.85	17.06	17.06	310.06	154.1	155.96
2012	750	195.45	26.06	26.06	618.4	245.94	372.56
2013	950	189.28	19.92	19.92	394.81	247.04	147.77
2014	950	161.42	16.99	16.99	310.09	217.39	92.7
2015	950	152.47	16.05	16.05	329.27	216.06	113.2
2016	1250	232.07	18.56	18.56	627.25	297.82	329.42
2017	1250	292	23.36	23.36	1281.56	356.87	920.33
2018	2000	382.8	19.14	18.67	874.42	452.03	422.39
2019	2500	526	21.04	20.15	815.92	617.13	198.79
2020	2500	397	15.88	14.9	595.05	483.68	111.37

नोट:-

1) मात्रा: लाख मानक बैगों में (1 मानक बैग = 50,000 पत्ते);
2) राशि: रुपये में करोड़।

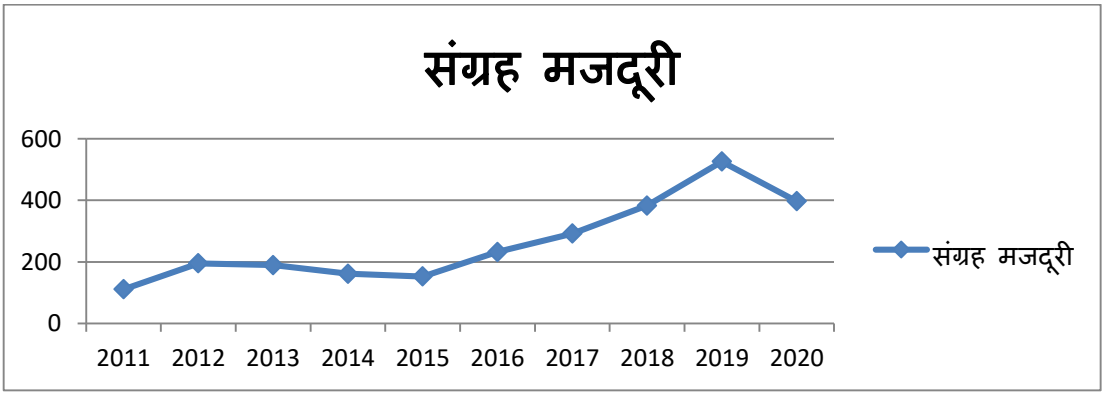

रेखाचित्र क्रमांक 1

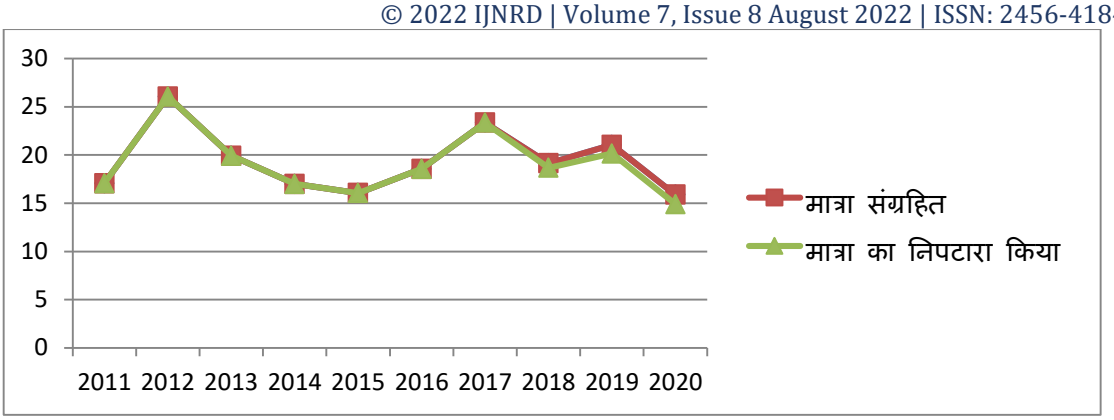

रेखाचित्र क्रमांक 2

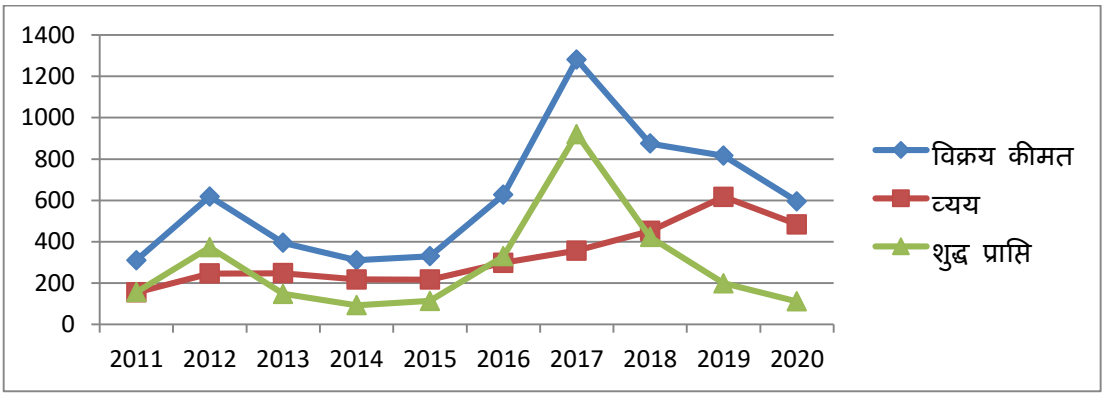

रेखाचित्र क्रमांक 3

विशलेषण:-

1. उपरोक्त तालिका एवं रेखाचित्र के माध्यम से मध्यप्रदेश में तेंदुपत्ता व्यवसाय को समझने का प्रयास किया गया है|
2. उपरोक्त तालिका में गणना हेतु वर्ष 2011 से वर्ष 2012 तक के समंको का उपयोग किया गया है|
3. इन समंको का विश्लेषण करने पर यह देखा गया है की तेंदुपत्ता हेतु प्रति मानक बेग संग्रहण की दर क्रमागत रूप से बड़ाई गई है| परन्तु यह वर्ष 2013, 2014, 2015 में सामान दर 950/- रूपये प्रति मानक बैग ही रही है| इन तीन वर्षो में तेंदुपत्ता मानक बैग में कोई वृद्धि नही की गयी हैं|
4. वर्ष 2016, 2017 में भी संग्रहण दर 1250/- प्रति बैग स्थिर रही |
5. वर्ष 2018 में संग्रहण दर 2000/- प्रति बैग तक बड़ा दी गयी जो की एक अच्छी स्तथी थी|
6. वर्ष 2019, 2020 में भी यह दर 2500/- प्रति बेग स्थिर रही|
7. इन वर्षो में संग्रह मजदूरी भी क्रमागत रूप से बढती हुई देखी गयी है पर यह काफी उतर चड़ाव भरी स्थिति में है |
8. शुरुआती वर्षो में यह मजदूरी बड़ती हुई देखी गयी परन्तु वर्ष 2013, 2014, 2015 में इसमें गिरावट देखी गयी है यह गिरावट 195.45 से गिरकर वर्ष 2015 तक 152.47 तक आ गयी है |
9. इसके बाद इसमें उछाल देखने को मिला और यह मजदूरी 232.07 देखी गयी|
10. वर्ष 2018, 2019 में भी यह क्रमशः 382.80 और 526.00 रहती है|
11. परन्तु वर्ष 2020 में यह मजदूरी 397.00 ही रह जाती है |
12. तेंदुपत्ता व्यवसाय की विक्रय की स्थिति भी इसी प्रकार मिली जुली है | वर्ष 2011 व वर्ष 2012 में यंहा विक्रय में वृद्धि देखि गयी साथ ही शुद्ध प्राप्ति में भी वृद्धि देखी गयी |
13. वर्ष 2013, 2014 और वर्ष 2015 में विक्रय एवं शुद्ध प्राप्तियों में गिरावट देखी गई|

14. वर्ष 2015,2016 और 2017 में दोबारा इस व्यवसाय के विक्रय में तेजी देखी गयी और शुद्ध प्राप्तियां गणना वर्षो के अधिकतम मूल्य 920.33 दर्ज की गयी |
15. 2017 के बाद वर्ष 2018, 2019 और 2020 भी क्रमागत रूप से गिरावट दर्शाने वाले वर्ष रहे |
16. वर्ष 2020 में विक्रय 595.05 एवं शुद्ध प्राप्तियां 111.37 दर्ज की गयी| रेखाचित्र क्रमांक 03 में देखा जा सकता है की वर्ष 2015 से 2017 के बिच विक्रय अधिक तेजी से बड रहा है परन्तु 2017 के बाद वर्ष 2020 तक इसमें गिरावट देखी जा रही है ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है की शुद्ध प्राप्तियों की स्तथी विक्रय से अधिक तेजी से रेखाचित्र में निचे की और गिरती दिख रही है|

सुझाव :-

इस परिप्रेक्ष्य में निम्न सुझाव प्रेषित है :-

1) लघुवनोपज संग्रहणकर्ता को जागरूक कर इसके संग्रहण पद्दति भण्डारण व् रख –रखाव का उचित प्रशिक्षण देना चाहिए|
2) लघुवनोपज के राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों का प्रदर्शन समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रो में होना चाहिए ताकि आदिवासियों को लघुवनोपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके|
3) सहकारी संस्थाओ व् सहकारी सोसायटी में सभी प्रकार के लघुवनोपज की खरीदी होनी चाहिए|
4) लघुवनोपज विपणन को सरकार द्वारा संगठित रूप देना चाहिए एवं इनके संग्रहकर्ताओ को विशेष योजनाओ में शामिल कर लाभ देना चाहिए|
5) सभी लघुवनोपज के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर साप्ताहिक बाजार के थोक विक्रेताओ को इसके पालन हेतु नियम बनाना चाहिए |
6) निश्चित रूप से लघुवनोपज विपणन को साप्ताहिक बाजार हाट से अलग नही रखा जा सकता लेकिन लघु वनोपज के विपणन पद्दति के स्वरूप में मूलभूत सुधार की आवश्यकता है|
7) अध्ययन क्षेत्र व् बाजार का चयन न्यादर्श के आधार पर है|

निष्कर्ष :-

अधिकांश आदिवासी वन क्षेत्रो में रहते है और उनकी अर्थवयवस्था वनों से वनोपज इकट्ठा करने पर आधारित है| ये लघुवनोत्पाद उनके जीवन निर्वाह और कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देते है| लघुवानोत्पद आदिवसियों की दैनिक आय का महत्वपूर्ण हिस्सा है| किन्तु आदिवासियों की अज्ञानता के कारण उन्हें उनकी वनोपज का उचित मूल्य नही मिल पाता है,व्यापारी एवं बिचोलिये उनकी अज्ञानता का लाभ

उठाते है| उन्हें उनकी लघुवनोपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए सरकार को व्यापारियों एवं बिचोलियों पर नियंत्रण लगाना होगा एवं स्थानीय स्तर पर वनोपज के विक्रय एवं भण्डारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी, जिससे की वनवासियों को उनकी वनोत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके |

सन्दर्भ:-

- अग्रवाल के. एल. विन्ध्य क्षेत्र का ऐतिहासिक भूगोल प्रथम संस्करण 1987
- दयाल, पी. –भारतीय आर्थिक समस्याएं एवं नीतियाँ, लॉयल बुक डिपो, सरस्वती सदन,ग्वालियर
- वन धन व्यापार – राज्य वन अनुसन्धान संस्थान, पोलिपाथर, जबलपुर
- वानिकी सन्देश – राज्य वन अनुसन्धान संस्थान पोलिपाथर, जबलपुर
- www.trifed.trible.gov.in,
- www.mpforest.gov.in
- http://mfpfederation.org/content/tendupatta.html